न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद
(पीठासीन अधिकारी मनसुख राम डामोर, आर. ए. एस.)

प्रकरण संख्याः– 90 / 2018 वाद
दायर दिनांकः– 10.07.2018
निर्णय दिनांकः– 16.02.2021

–: अनवान : –

1. नाथी पत्नि शफि मोहम्मद पुत्र नत्थें खां, निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा

वादीया

–: बनाम :–

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा

प्रतिवादी

वाद बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती एवं अंकन

–: निर्णय :–

वादीया ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं राजस्व रेकार्ड में अंकन का प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम रेलमगरा मे कृषि भूमि आराजी संख्या 1843 रकबा 00–09 बीघा भूमि स्थित है । जो वादिया के स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी की है। वाद पत्र की पैरा संख्या 01 में वर्णित आराजी के साबिक आराजी नम्बर 1531 रकबा 00–10 बीघा थी जो वादिया के पिता के नाम पर दर्ज थी और वादिया के पिता के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण वादिया को प्राप्त हुई जिस पर वादिया काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है एवं भुमि वादिया कि हक अधिकार की है। वाद पत्र के पैरा सख्या 02 में वर्णित साबिक आराजी नम्बर 1531 रकबा 00–10 बीघा भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व जरीब के अनुसार थे। उक्त नम्बर के नये नम्बर 1843 सेटलमेन्ट के समय बने जिसके रकबा नई जरीब अनुसार 00–13 बीघा भूमि होना चाहिये था । लेकिन सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा बिना सुने सहवन से अंकित त्रुटि करते हुए 00–13 बीघा के स्थान पर केवल 00–09 बीघा भूमि ही वादिया के पिता के नाम पर अकिंत कर दी जबकि सम्पुर्ण 00–13 बीघा भूमि पर वादिया के पिता काबिज होकर उपयोग उपभोग एवं काश्त कर रहे थे और उक्त भूमि उनके स्वर्गवास के बाद वादिया उपयोग उपभोग कर रही है और वादिया काबिज होकर एक मात्र मालिक है। सेटलमेनट अधिकारियों की त्रुटि को सुधारा जाना आवश्यक है अन्यथा भविष्य में कई प्रकार के विवाद उत्पन्न होगें।

उक्त परिस्थिति में वादिया पत्र के पैरा सख्या 01 में वर्णित आराजी सख्या 1843 रकबा 00–09 बीघा भूमि के स्थान पर 00–13 बीघा भूमि अपने नाम पर राजस्व रिकार्ड में खातेदार के रूप में घोषित कराने , अंकन कराने तथा इन्द्राज में दुरूस्त कराने की अधिकारी है। इस हेतु वादिया की ओर से यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है । प्रतिवादी द्वारा उक्त अपनी गलती का सुधार करने का कहने पर इन्कार कर मौखिक रूप से वादिया को बेदखल करने की धमकी दी गई । मामला आवश्यक प्रकृति का है और यदि इस मामलें में 02 माह की अवधि का नोटिस दिया जाता है। तो प्रतिवादी वादिया को कॉफि परेशानी का सामना करना पडेगा ऐसी परिस्थिति में वाद प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा । अतः बिना नोटिस दिये ही उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके लिये स्वीकृति हेतु अलग के धारा 80(2) जा. दि. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार फरमायी जाकर वाद पत्र की पैरा सख्या 01 में वर्णित आराजी सख्या 1843 रकबा 00–09 बीघा भूमि के स्थान पर 00–13 बीघा भूमि का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करवाया जाकर इसी अनुसार अंकन करवाये जाने की डिक्री पारित फरमायी जावें। इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमाबन्दी संवत् 2031 के अनुसार खाता नम्बर 585 के अनुसार नन्ते खां पिता अल्ला बक्ष साकिन देह खातेदार है। वादिया के खातेदारी की नकल नही है। नामान्तरकरण सख्या 734 आराजी नम्बर 1843 जो वर्तमान जमाबन्दी अनुसार नही है तथा फर्द मिलान से आराजी नम्बर 1843 रकबा 00–09 बीघा का आराजी नम्बर 1531 रकबा 00–10 बीघा बना है साबित करावें। इस पर दावे एवं जवाब दावे अनुसार निम्न तनिकियात विरचित की गयी :–

तनकी सख्या 01– आया ग्राम रेलमगरा की सीमा के स्थित आराजी सख्या 1843 रकबा 00–09 बीघा भूमि वादिया के खातेदारी अधिकार की है।

तनकी सख्या 02– आया आराजी सख्या 1843 के साबिक आराजी सख्या 1531 रकबा 00–10 बीघा होकर वादिया के पिता के नाम दर्ज थी।

तनकी संख्या 03– आया आराजी सख्या 1531 रकबा 00–10 बीघा भूमि सेटलमेन्ट से पुर्व पुरानी जरीब से थी जो नई जरीब के अनुसर 00–13 बीघा रेकार्ड में दर्ज होनी चाहिए।

वादिया ने उक्त तनकियात के समर्थन में वादिया ने गवाह पीडब्ल्यु – 01 नाथी बाई का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दौराने जिरह बताया कि जमीन रेलमगरा में खसरा नम्बर मुझे याद नही सेटलमेंन्ट से पूर्व मेरे पिता के नाम थी बाद में मेरे नाम आई जमीन खसरा नम्बर 1843 पडे । उस पर मेरा कब्जा है तथा चारों ओर दिवार है वर्तमान में मेरा ही कब्जा है उक्त भूमि किसी के अन्दर दबी हुई नही है। इसके खण्डन में गवाह डी डब्ल्यु –01 बताया कि आरजी नम्बर 1843 वादिया के नाम पर दर्ज है एवं इनके

साबिक आराजी नम्बर 1531 रकबा 00–10 बीघा होकर वादिया के पिता के नाम पर दर्ज थी । दौराने जिरह में बताया किय पुरानी जरीब 152 1/2 फिट की थी वर्तमान में जरीब 132 फिट की है जिससे रकबा बढना चाहिए था जो 00–13 बीघा होना चाहिए एवं वादिया ने दस्तावेज प्रदर्श –01 जमाबन्दी संवत् 2061–64 में वादिया के नाम आराजी सख्या 1843 रकबा 00–09 बीघा दर्ज है, प्रदर्श –02 जमाबन्दी संवत् 2025–28 में वादिया के पिता नन्ने खां के आराजी संख्या 1531 रकबा 00–10 बीघा दर्ज है, प्रदर्श –03 नामान्तरकरण संख्या 734 में आराजी सख्या 1843 रकबा 00–09 दर्ज है, प्रदर्श –06 नक्शा ट्रेस एवं खसरा भू प्रबन्ध विभाग के संवत् 2020–21 में आराजी नम्बर 1843 रकबा 00–09 बीघा आराजी नम्बर 1531 मीन रकबा 00–10 बीघा दर्ज रेकार्ड है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि मिलान खसरा पत्रक 1843 गौरमा रकबा 00–09 बीघा को आराजी नम्बर 1531 मीन रकबा 00–10 बीघा से बनना बताया गया सही है जबकि वादिया आराजी नम्बर 1531 बता रही है। जिससे वादिया का वाद मिलान खसरा से साबित कराने में असफल होना प्रतीत होता है अतः वादिया अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराने में असफल रही है। अतः वादिया का वाद खारिज किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो।

उक्त निर्णय से असतुंष्ठ होकर वादिया ने श्रीमान् न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के न्यायालय में अपील संख्या 01/2018 (राजसमन्द डिक्री) दर्ज करायी गयी। अपिलिय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15/03/2018 के द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार रेलमगरा द्वारा मौका रिपोर्ट ली जाकर रेकार्ड में पेश शुदा साक्ष्यों का औचित्यपुर्ण विश्लेषण एव उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारों को पुनः सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर पक्षकारान को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया । पक्षकारान द्वारा कोई साक्ष्य सबुत पेश नही किया जाकर सीधे ही बहस चाही गयी । पक्षकरान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड एव तहसीलदार रेलमगरा द्वारा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार हैः–

तनकी सख्या 01– आया ग्राम रेलमगरा की सीमा में स्थित आराजी सख्या 1843 रकबा 00–09 बीघा भूमि वादिया के खातेदारी अधिकार की है। उक्त तनकी जिम्मे वादिया होकर उक्त तनकियात के समर्थन में वादिया ने गवाह पीडब्ल्यु–01 नाथी बाई का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिरह पुर्ण हुई तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श –01 जमाबन्दी संवत् 2061–64 के प्रस्तुत की गई । प्रदर्श –01 के अनुसार वर्तमान आराजी सख्या 1843 रकबा 00–09 बीघा भूमि वादिया के नाम दर्ज रेकार्ड है । उक्त तनकी दस्तावेजी साक्ष्य से वादिया के पक्ष में सिद्व होने से वादिया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

तनकी संख्या 02– आया आराजी संख्या 1843 के साबिक आराजी संख्या 1531 रकबा 00–10 बीघा होकर वादिया के पिता के नाम दर्ज थी। उक्त तनकी वादिया के जिम्मे होकर उक्त तनकियात के समर्थन में वादिया ने गवाह पीडब्ल्यु–01 नाथी बाई का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिरह पुर्ण हुई तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–02 जमाबन्दी संवत् 2025–28 व प्रदर्श –06 मिलान खसरा पत्रक की प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत किये गये । प्रदर्श–02 व 03 को अवलोकन करने पर वादग्रस्त आराजी संख्या 1843 के साबिक आराजी संख्या 1531 रकबा 00–10 बीघा होकर वादिया के पिता के नाम दर्ज थी। जिससे उक्त तनकी रकबा 00–10 बीघा होकर वादिया के पिता के नाम दर्ज थी। जिससे उक्त तनकी तनकी दस्तावेजी साक्ष्य से वादिया के पक्ष में सिद्व होने से वादिया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सख्या 03– आया आराजी सख्या 1531 रकबा 00–10 बीघा भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व पुरानी जरीब से थी जो नई जरीब के अनुसार 00–13 बीघा रेकार्ड में दर्ज होनी चाहिए जिम्में वादिया होकर उक्त तनकियात के समर्थन में वादिया ने गवाह पीडब्ल्यु–01 नाथी बाई का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिरह पुर्ण हुई तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श – 01 जमाबन्दी संवत् 2061–64 , प्रदर्श –02 जमाबन्दी संवत् 2025–28, प्रदर्श – 03 नामान्तरकरण सख्या 734, प्रदर्श –04 जमाबन्दी संवत् 2031 की प्रमाणित प्रति एंव प्रदर्श – 06 नक्शा ट्रेस एवं खसरा भू प्रबन्ध विभाग के संवत् 2020–21 की प्रमाणित प्रति के पेश किये गये। प्रदर्श –06 खसरा मिलान पत्र का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि साबिक आराजी सख्या 1531 मीन रकबा 00–10 बीघा में से वर्तमान आराजी सख्या 1843 रकबा 1531 से वर्तमान आराजी नम्बर 1843 बनना जाहिर किया गया है। अर्थात् साबिक आराजी नम्बर 1531 मीन रकबा 00–10 बीघा में सं वर्तमान आराजी सख्या 1843 रकबा 00–09 बीघा के अतिरिक्त अन्य नवीन आराजी नम्बर बनना प्रतीत होता है किन्तु वादिया द्वारा अपने वाद पत्र एवं बयानों में कही भी यह जाहिर नही किया गया है कि साबिक आराजी संख्या 1531 मी में से वर्तमान आराजी संख्या 1843 के अतिरिक्त अन्य कोई नम्बर बना हो तथा यह भी कहीं जाहिर नही किया गया है कि अन्तर रकबा सेटलमेन्ट के दौरान किस आराजी नम्बर में चला गया तथा वर्तमान के किस आराजी संख्या से अन्तर रकबा कम किया जाकर प्रार्थी के वर्तमान आराजी संख्या 1843 में जोडा जाना है । जहॉ तक वादिया का यह कथन है कि वर्तमान में वह रकबा 00–13 बीघा भूमि पर काबिज हो तो तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट दिनांक 09.07.2019 के अनुसार आराजी संख्या 1843 रकबा 00–09 बीघा दर्ज रेकार्ड है और उक्त आराजी में वादिया का सम्पूर्ण रकबा 00–09 बीघा पर ही कब्जा है। ऐसी स्थिति में वादिया दस्तावेजी साक्ष्य से तनकी संख्या 03 को सिद्व करने में असफल रही है। जिससे उक्त तनकी वादिया के विरूद्व निर्णित की जाती है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अतः तनकी संख्या 03 में वर्णित विवेचन के अनुसार वादिया अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराने में असफल रही है। अतः वादिया का वाद खारिज किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 16/02/2021 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा